न्यायालय उप जिला कलेक्टर, बौंली जिला सवाई माधोपुर

पीठासीन अधिकारी – बद्री नारायण मीना आर ए एस

<u>वाद पत्र सं. (110/2013) 9/2016</u>

1. रामविलास पुत्र श्रीनारायण
2. कमल सिंह पुत्र श्रीनारायण
3. कमला देवी पत्नि रामविलास
4. कैलाशी पत्नि कमल सिंह
5. रामस्वरूप पुत्र श्रीनारायण
6. कैलाश पुत्र श्रीनारायण
7. किशन गुर्जर पुत्र रामस्वरूप
8. तुलसां पत्नि कैलाश
9. घनश्याम पुत्र श्रीनारायण
10. रामजीलाल पुत्र श्रीनारायण
11. दीनदयाल पुत्र श्रीनारायण
12. संता देवी पत्नि रामजीलाल
13. राधा देवी पत्नि दीनदयाल

समस्त जाति गुर्जर निवासी रवांसा तहसील बौंली जिला सवाई माधोपुर

..........वादीगण

बनाम

सरकार जरिये तहसीलदार लैण्ड होल्डर तहसील बौंली जिला सवाई माधोपुर

.... प्रतिवादीगण

<u>दावा उद्घोषणा तरमीम करने बाबत</u>

<u>उपस्थित:- श्री राजेश कुमार कुर्मी एडवोकेट वादीगण की ओर से</u>

<u>दावा संख्या 77/2014</u>

1. रामावतार पुत्र जग्गी उम्र 45 वर्ष जाति गुर्जर निवासी रवांसा
2. ममता पत्नि रामावतार उम्र 43 वर्ष जाति गुर्जर निवासी रवांसा तहसील बौंली जिला स.मा. .... वादीगण

बनाम

सरकार जरिये तहसीलदार लैण्ड होल्डर बौंली जिला सवाई माधोपुर

उप जिला कलक्टर
बौंली जिला सवाई माधोपुर

(15)

दावा उद्घोषणा तरमीम करने बाबत

उपस्थित– श्री दिलीप पारीक एडवोकेट वादीगण की और से

आदेश

दिनांक 28.4.22

वादीगण की और से वाद सं. (110/2013) दायर करने पर न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 17.09.2014 को दावा डिक्री किया गया तथा वाद पत्र के साथ पेश परिशिष्ट 'अ' के अनुसार नक्शे में तरमीम करने के आदेश दिये गयें।

उक्त निर्णय के विरूध्द प्रथम अपील न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सवाई माधोपुर के समक्ष वाद पत्र सं. 77/2014 में दर्ज वादीगण की और से पेश कर उक्त न्यायालय के निर्णय दिनांक 17.9.2014 को चुनौती दी गयी । जिसके अपील संख्या 64/2014 रामावतार वगेरा बनाम रामविलास वगैरा हैं जिसमें प्रथम अपील न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सवाई माधोपुर द्वारा दिनांक 4.3.2015 को निम्न आदेश प्रतिपादित किया कि

> " खसरा नं. 337 की तरमीम के बारे में अपील मे कोई कथन नहीं हैं अतः अपील उनके बारे मे निरस्त की जानी चाहियें उक्त तर्क में कुछ हद तक वजन हैं। लेकिन अपीलान्ट ने रास्ते के विवाद का मुद्दा भी अपील में उठाया हैं ऐसी स्थिति में संबंधित पक्षो की उपस्थित में सर्वे होकर तरमीम होना उचित हैं क्योंकि खसरा नं. 344 व 337 लगते हुऐ हैं । अतः सर्वे करने पर पूर्व निष्कर्षो में तब्दीली हो सकती हैं। अतः प्रकरण को एक साथ निर्णय करना सर्वोपरी हैं। अतः अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वाद सं. 110/13 एवं वाद संख्या 77/14 दोनो कन्सोलीडेट करके सुना जावें। अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 17.9.14 निरस्त किया जाता हैं। उपखण्ड अधिकारी बौली को प्रकरण सुनवाई हेतु रिमाण्ड किया जाता हैं।

पत्रावली न्यायालय हाजा में प्राप्त होने पर पुनः वाद पत्र सं. (110/2013) ,9/2016 पर दर्ज की गयी।

उप जिला कलेक्टर
बौली जिला सवाई माधोपुर

दिवतीय अपील– उक्त हरदो निर्णयों के विरूध्द रामबिलास वगैरा की और से माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के समक्ष अपील टीए/1999/2015सवाई माधोपुर बउनवानी रामबिलास वगेरा बनाम रामावतार वगैरा दायर की गयी। जिसमें माननीय राजस्व मण्डल अजमेर ने दिनांक 10.12.2015 को निम्न आदेश प्रतिपादित किया:–

" अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाती हैं तथा अधिनस्थ अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी सवाई माधोपुर दवारा पारित निर्णय दिनांक 04.3.2015 की पुष्टि की जाती हैं। "

उक्त वाद पत्र में वादीगण रामबिलास की और से प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 सीपीसी पेश कर निवेदन किया कि मौजूदा वाद सं. 110/13 में वाद सं. 77/14 के वादीगण रामावतार व ममता को प्रतिवादी बनाया जाये ताकि इनकी और से जबाव दावा पेश होने पर वाद का निर्णय हो सकें । उक्त प्रार्थना पत्र को न्यायालय हाजा ने आदेश दिनांक 17.3.16 से निरस्त कर दिया गया । तथा प्रकरण राजस्व भूराजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अन्तर्गत सुनवाई योग्य मानते हुये मौका रिपोर्ट तलब करने के आदेश दिये । उक्त आदेश के विरूध्द निगरानी माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में निगरानी सं. 2016/2858 सवाई माधोपुर/02.03.2017 बउनवानी रामबिलास बनाम रामअवतार वगेरा दायर की गई जिसमें आदेश दिये गये हैं कि :–

" विचारण न्यायालय के समक्ष लम्बित दोनो ही प्रकरणो में खातेदारों के बीच तरमीम की दुरूस्ती का विवाद हैं। इसलिये अधीनस्थ न्यायालय ने विवादित भूमि की मौका रिपोर्ट मय नजरी नक्शे के तलब करने के जो आदेश दिये हैं वह विधिसम्मत हैं। चूँकि तरमीम का विवाद होने से प्रकरण में तनकीयात कायम करने की आवश्यकता नहीं हैं और न हीं अलग से आदेश 1 नियम 10 के तहत पक्षकार बनाने की आवश्यकता हैं । इसलिये अधीनस्थ न्यायालय दवारा पारित आक्षेपित आदेश में हम किसी प्रकार की त्रुटि नहीं पाते हैं और निगरानी ग्राहयता के स्तर पर हीं खारिज किये जाने योग्य हैं। "

उक्त आदेश के विरूध्द माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में एसबी सिविल रिट पीटीशन नं. 7870/2017 रामबिलास बनाम रामावतार दायर की गयी जिसमें दिनांक 02.06. 2017 को स्थगन प्रार्थना पत्र खारिज किया गया हैं।

उक्त सभी आदेशो के अध्ययधीन उक्त दोनों प्रकरणो को कन्सोलीडेट कर सुनवाई प्रारम्भ की गयी।

वाद पत्र सं. (110/2013) ,9/2016

वादीगण की और से यह दावा बउनवानी रामबिलास बनाम सरकार – इस आशय का दायर किया कि वादीगण की कब्जे काश्त व खातेदारी की आराजी ग्राम रवासा तहसील में में वाके हैं। वादी सं.1 ल. 4 की खातेदारी में ख.नं. 337/837 रकबा 0.38 है.,जो दावे के

उप जिला क...
बौंली जिला सवाई माधोपुर

[illegible]

[illegible]

वाद पत्र सं. 11/2018

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] वाद पत्र सं. (110/2018) [illegible]

[illegible]

337/837 , 337/836 के संबंध में कोई विवाद नहीं हैं। वाद पत्र के साथ पेश नजरी नक्शे में मार्क अनुसार वादीगण का खसरा नं. 337/837, 337/836,344/840 पर वादीगण खातेदार काश्तकार हैं। जरिये शुध्दि पत्र उक्त आराजी 344/840 को 840/344 शुध्द किया जा चुका हैं। इस नम्बर का हीं विवाद हैं। हमने वर्तमान मौका रिपोर्ट तहसीलदार बौली से तलब की गयी। तहसीलदार बौली ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 18.11.21 में यह दर्ज किया कि मौके पर खसरा नं. 344/840 नवीन खसरा नं. 840/344 मे मौके पर काश्त हो रहीं हैं मौके पर 840/344 के 1/5 भाग पर सौफ, 1/5 भाग पर रंजका की फसल बो रखी हैं मौके पर इसी खसरा नम्बर मे सोर उर्जा की प्लेट भी लगी हुयी हैं तथा मौके पर धनश्याम, दीनदयाल व उनके बडे भाई रामस्वरूप मौके पर काश्त करते हुये मिले तथा मौके पर पानी से सिंचाई कर रखी थी। इस प्रकार यह पाया गया कि उक्त आराजीयात खसरा नं. 840/344 पर वादीगण रामबिलास वगैराह का कब्जा व काश्त हैं। तथा वादीगण द्वारा वर्तमान में हो रहीं तरमीम को मौके अनुसार सहीं होना स्वीकार किया हैं।

<u>वाद पत्र सं. 77/2014</u>

यह वाद बउनवानी रामावतार बनाम सरकार में वादीगण ने दावा किया कि वाद पत्र के साथ नजरी नक्शे परिशिष्ट 'क' में मार्क ए बी सी डी खसरा नं. 344/839 जिसे शुध्दि पत्र से 839/344 किया गया हैं पर कब्जा काश्त हैं। हमने वाद पत्र के साथ प्रस्तुत नक्शें का अवलोकन किया तथा दौराने साक्ष्य वादीगण रामावतार की और से प्रदर्शित प्रदर्श–5 में विरोधाभास हैं। ऐसा प्रतीत होता हैं कि वादीगण की और से दौराने साक्ष्य यह नजरी नक्शा परिशिष्ट 'अ' के रूप में अलग से पेश कर प्रदर्शित कर दिया । जबकि वाद पत्र के साथ प्रदर्शित परिशिष्ट 'अ' पर कोई प्रदर्श नहीं डलवाना वादीगण की नियत में खोट प्रकट करता हैं। दूसरी और हमने तहसीलदार बौली से मौका रिपोर्ट तलब की। तहसीलदार बोली में अपनी रिपोर्ट में दर्ज किया कि आराजी खसरा नं. 839/344 पर बहुत समय से एक ढोली पत्थर पडे हुये हैं जिसके बारे में कोई जानकारी नहीं हैं उक्त नम्बर के चारो सीमाओ पर कींकर बम्बूल के पेड लगे हुये हैं तथा कुछ भाग पर शंकर पुत्र कल्याण ब्राम्हण द्वारा कोठी खुदाई का मलवा डाल रखा हैं ।अधिकांश भूमि खाली बंजड पडी हुयी हैं। उक्त रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत नक्शा का हम वाद पत्र के साथ पेश भी भिन्न हैं तथा वादी द्वारा बाद में प्रस्तुत नक्शें प्रदर्श–5 से भी भिन्न हैं। मौके पर हाल नक्शा में उक्त सीमाओ के अनुसार तरमीम भी की चुकी हैं। किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किसी खातेदार की आराजी पर मलवा डाल देना, या पत्थर डाल देने से खातेदार के हक हकूक प्रभावित नही होते ना ही किसी तरह का स्वत्व प्राप्त होता हैं।

उक्त विवेचना के अनुसार हम दोनों वाद पत्रों के क्रम में हमारे विनम्र अभिमत में यह सिध्द पाते हैं कि मौका रिपोर्ट दिनांक 18.11.21 के साथ प्राप्त नक्शा सहीं है तथा दोनों वादों में वादीगणो द्वारा चाही गयी तरमीम की अलग से आवश्यकता प्रतीत नही होती। वर्तमान में राजस्व रिकोर्ड मे उक्त आराजीयात मुतदाविया की तरमीम हो चुकी हैं।

उप जिला कलेक्टर
बौली जिला सवाई माधोपुर

ऐसी सूरत में दोनों दावें स्वीकार किया जाकर तरमीम यथावत रखा जाना विधि संगत हैं। चूँकि माननीय राजस्व मण्डल दवारा प्रकरण धारा 136 राज .भू.राजस्व अधिनियम के तहत सुनवाई योग्य माना हैं इस कारण डिकी की आवश्यकता नहीं हैं।

आदेश

उक्त विवेचना के परिपेक्ष्य में वाद पत्र सं. (110/2013) ,9/2016 रामविलास बनाम सरकार एवं वाद पत्र सं. 77/2014 रामावतार बनाम सरकार स्वीकार किये जाते हैं। चूँकि वर्तमान राजस्व रिकोर्ड यथा नक्शा शीट में खसरा नं. 839/344 एवं 840/344 एवं 837/337, 836/337 की तरमीम हो चुकी हैं। उक्त तरमीम मौके व कब्जे अनुसार सिघ्द पायी गयी । जिसे बदस्तूर कायम रखा जावें। निर्णय की एक एक प्रति दोनो पत्रावली में शामिल की जावें।

(बद्री नारायण मीना)
उप जिला कलेक्टर
बौली जिला स.मा.

उप जिला कलेक्टर
बौंली जिला सवाई माधोपुर

निर्णय आज दिनांक 28.4.22 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया ।

उप जिला कलेक्टर
बौली जिला स.मा.

उप जिला कलेक्टर
बौंली जिला सवाई माधोपुर